राजस्थान सरकार

नगर नियोजन विभाग

कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक अजमेर जोन,

दीपक नगर, जयपुर रोड, अजमेर–305001

क्रमांक : एजेजेड / 1120 / एमपी / डेगाना / 24 / दिनांक : 18.06.2024

अधिसूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान नगर सुधार अधिनियम–1959 की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अद्योहस्ताक्षरकर्ता को डेगाना (जिला नागौर) का सिविक सर्वे करने एवं मास्टर प्लान क्षितिज वर्ष–2041 तैयार करने हेतु नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त किया गया। अतः राजस्थान नगर सुधार अधिनियम–1959 की धारा 5 की उपधारा (1) एवं राजस्थान नगर सुधार न्यास (साधारण) नियम, 1962 के नियम 3 के अन्तर्गत डेगाना (जिला नागौर) के नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान–2041 का प्रारूप तैयार कर जनता से आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने हेतु प्रकाशित किया जा रहा हैं। इस प्रारूप मास्टर प्लान के नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलि खित राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं :–

क्र.सं.	राजस्व ग्राम का नाम	
	अंग्रेजी	हिन्दी
1.	CHANDAROON	चान्दारूण
2.	DEGANA GAON	डेगाना गांव
3.	GOREDI CHANCHA	गौरेड़ी चाचा
4.	GOREDI KARNA	गौरेड़ी करणा
5.	JHAGARWAS	झगड़वास
6.	KITALSAR	कितलसर
7.	LANGOD	लंगौड़
8.	RAWALIYAWAS	रावलियावास
9.	RENWAT	रेंवत
10.	TAMDOLI	तामडोली
11.	TILANESH	तिलानेश
12	BAJIYASAR	बाजियासर
13	DEVNAGAR	देवनगर

डेगाना मास्टर प्लान के इस प्रारूप के सम्बन्ध में राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस की समयावधि में कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्तियाँ एवं सुझाव वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, दीपक नगर, जयपुर रोड, अजमेर–305001, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, डेगाना (जिला नागौर) अथवा मुख्य नगर नियोजक, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, राजस्थान, जयपुर–302004 के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। मास्टर प्लान के प्रारूप को उपरोक्त समयावधि में किसी भी कार्यदिवस में दिनांक 18.06.2024 से 18.07.2024 तक प्रदर्शनी स्थल पंचायत समिति सभाकक्ष डेगाना (जिला नागौर) में देखा जा सकता है। मास्टर प्लान के इस प्रारूप से सम्बन्धित पुस्तिका मय मानचित्र, कार्यालय नगर पालिका, डेगाना (जिला नागौर) से क्रय की जा सकती हैं।

(मुकेश मित्तल)

अति.मुख्य नगर नियोजक,

अजमेर जोन, अजमेर।